सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

आवेदन संख्याः– 141/2025

दर्ज तिथिः–18.07.2025

प्रार्थीनी		उलंघनकर्ता
मूति पुत्री भाखरराम जाति विश्नोई निवासी धोलिया भाटा कोजा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर	बनाम	1. सहायक अभियंता, T&C RVPN Barmer कार्यालय 120 KV GSS बाड़मेर 2. मोहनलाल विश्नोई सहायकं अभियंता 220 केवी सब स्टेशन बाड़मेर रोड़ धोरीमना
जरिये अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2ए
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908
निर्णय तिथिः–12.09.2025

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–2 ए के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है –
   - कि प्रार्थीनी का पैतृक खातेदारी का खेत ग्राम धोलिया भाटा पटवार हल्का कोजा में खसरा संख्या 105/0.8115 है, 66/6.6126 है0 का आया हआ है। जिसमें वादीनी का जन्म से हक हिस्सा तय करवाने के संबंध में राजस्व वाद व आवेदन इसी न्यायालय में विचाराधरीन है। प्रार्थीनी की पैतृक भूमि विप्रार्थी स्वयं या किसी अन्य से खुर्द–बूर्द नहीं करवाये या दुरूपयोग नहीं करें इस बाबत् राजस्व आवेदन पेश करने पर इसी न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 49/2025 बअनवान मूर्ति बनाम भाखरराम में दिनांक 08.04.2025 को उपरोक्त दोनों खसरों में मौका एवं रेकर्ड की यथा स्थिति का आदेश हो रखा है जो दिनांक 18.07.2025 तक प्रभावी है।
   - कि प्रार्थीनी को जानकारी मिली की विप्रार्थीगण द्वारा षडयंत्रपूर्वक उपरोक्त स्थगन सुदा भूमि में मौका [illegible] रेकर्ड में भारी फेरबदल कर खुर्द बूर्द करने पर उतारू है तथा [illegible] न्यायालय के आदेश की घोर अवहेलना करने पर उतारू है जबकि [illegible] विप्रार्थीगण को ऐसा करने को कोई अधिकार नहीं है [illegible] आदेश के प्रभावी [illegible] के दौरान बिना न्यायालय की अनुमति विप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं कर सकते जबकि आज से 10 दिन पूर्व आप विप्रार्थीगण द्वारा 10–15 व्यक्तियों के साथ अनाधिकृत रूप से स्थगन सुदा भूमि में घुसकर तोड़–फौड़ करने लगे तथा अवैधानिकय रूप से अपने स्वीकृत मार्ग से हटकर लोगों के खेत बर्बाद करने की नियत से वलयाकार तरिके से खेत के बीचों बीच अवैध निर्माण करने पर उतारू हुए तब प्रार्थीनी द्वारा उक्त आदेश दिखाते हुए आपको अवैध कब्जा नहीं करने का निवेदन किया तो आप द्वारा धमकिया दी गई कि हम मनमर्जी से कहीं पर भी कब्जा कर सकते हैं जबकि किसी भी स्थगन सुदा भूमि में न्यायालय के बिना अनुममि किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना न्यायालय आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है तथा अवमानना प्रमाणित होने पर सिविल कारावास दिया जाना न्यायसंगत है इसलिए यह अवमानना याचिका पेश की हैं ।

- कि इस आशय का लिगल नौटिस विप्रार्थी संख्या 2 मोहनलाल विश्नोई को दिनांक 23.04.2025 को प्रेषित करने के बावजूद बार बार मोहनलाल द्वारा मौके पर आकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर आराजी में मौके पर रदोबदल करने पर उतारू है तथ वृद्व भाखराराम को मुवावजा के नाम पर बहला फुसलाकर प्रार्थीनी के हक हिस्से को खुर्द–बूर्द करने पर उतारू है जबकि आदेश की सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद तथा लिगल नोटिस प्रेषित करने के बावजूद न्यायालय आदेश की बार बार अवहेलना करना अवमानना की श्रेणी में आता है। इसलिए यदि 24 घण्टे में विभाग के कर्मचारी को उक्त आदेश की अवहेलना करने व खसरा संख्या 66 में दखलअंदाजी करने से नहीं रोका तो विप्रार्थीगण के विरूद्व व्यक्तिगत रूप से अवमानना की कार्यवाही की जायेगी। उक्त दोनों लीगल नोटिस देने के बावजूद विप्रार्थीगण लगातार बेदखल करने की धमकिया दे रहे है। जो न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना है । अतः न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2025 की अवहेलना कर मौके पर रदोबदल करने वाले उलंघनकर्ता के विरूद्व अवमानना की कार्यवाही करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को तलब किया गया। विप्रार्थीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–2 ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज करने का अनुरोध करते हुए लिखित जवाब प्रस्तुत कर सीधे बहस प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया–

  - कि प्रार्थीनी द्वारा सहायक कलक्टर धोरीमना के न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र बअनवान मूर्ति बनाम भाखराराम वगैराह में विप्रार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से प्रार्थिनी द्वारा विप्रार्थी के विरूद्व उक्त अवमानना याचिका मेन्टेनेबल नहीं होने से प्रारंभिक स्तर पर ही खारीज योग्य है।
  - कि प्रार्थीनी द्वारा श्रीमान के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद व स्थगन में विप्रार्थी को [illegible] नहीं हैं। उक्त वाद प्रार्थीनी व प्रार्थीनी द्वारा वाद व स[illegible] में [illegible]ये गए पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद है जिसकी आड़ में [illegible] विप्रार्थी की निर्माणाधीन विधुत लाईन को [illegible] रही हैं जो लाईन विप्रार्थी द्वारा नि[illegible] सरकार द्वारा स्वीकृत एवं उसमें जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:42 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

नियमानुसार मुआवजा सरकार द्वारा तय किया गया है वो नियमानुसार खातेदार को देय होगा।

- कि दिनांक 16.10.2024सर्वे कार्य प्रारंभ से लेकर हाल ही प्राप्त कोर्ट अवमानना नोटिस के पूर्व प्रार्थीनी ने कभी भी प्रतिवादी के कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त खसरे की भूमि में स्थगन होने संबंधी तथ्य व स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया जिसमें विधुत प्रसारण निगम को उनके द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्य को नहीं करने हेतु निर्देशित/पाबंध किया गया है।
- कि राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम की उक्त लाईन निर्माण बाबत् मार्ग पहले से ही तय हो चुका था जिसका गजट नोटिफिकेशन भारतीय विधुत अधिनियम 2003 अनुसंधान 146 एवं भारतीय अेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधिनियम 13/1885) के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दिसम्बर 2024 को जारी किया गया व प्रकाशन जनवरी 2025 एक्स्ट्रा ओडेनरी गजट में किया गया है।
- चुंकी प्रतिवादी द्वारा प्रार्थीनी के खेत में उक्त लाईन निर्माण बाबत् अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। ना ही किसी प्रकार का कोई नुकसान किया गया है। ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी आदि दी गई हैं।
- अतःप्रार्थीनी द्वारा लगाए गए अवमानना आरोप गलत व निराधार है तथा प्रार्थीनी द्वारा प्रतिवाद के निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने व उक्त निर्माण कार्य को रोकने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारीज हैं।

3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में हाजा न्यायालय पर विचाराधीन दावा 49/2025 बअनवान मूर्ति बनाम भाखराराम विचाराधीन है जिसमें विप्रार्थीगण को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है । उक्त वाद में वादिनी द्वारा प्रतिवादी से घोषणा की ईस्तदुआ चाही जाकर आराजी में मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन न्यायालय जाना द्वारा जारी किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा जारी उक्त स्थगन में किसी भी राष्ट्रीय/राज्य परियोजना जो कि विकास हेतु लोककल्याणकारी है जिससे रोकने का कोई उल्लेख नहीं किया गया तथा न ही न्यायालय ऐसी कोई मंशा रखता हैं।

4. उपरोक्त प्रकरण के अध्ययन व अवलोकन तथा विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर बाद मनन से यह ज्ञात होता है कि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थीनी व उनके विधिक वारीसान के मध्य वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उक्त आराजी के संबंध में दर्ज वाद में विप्रार्थीगण को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है तथा न ही विप्रार्थीगण से उक्त वाद कोई तालुक रखता है। न ही विप्रार्थी को उक्त वाद की कोई सूचना है। प्रार्थीनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी के आराजी में ... रदोबदल किया गया हो। प्रार्थीनी अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न ... दौराने बहस विप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेश की अवमानना की कारित ... को साबित करने में विफल रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:42 IST
Reason: SelfAttested

5. हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि विप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की कहीं अवहेलना कारित करना साबित नहीं होता है जिससे प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

सरवरक मिसल

राजस्व ग्राम धोलिया भाटा

मूर्ति बनाम सहायक अभियंता
2025/246
निर्णय दिनांकः—12.09.2025

अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी वास्ते अवमानना कारित होना प्रतीत नहीं होती हैं। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—39 नियम—2 ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर मुक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

12/9/25

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:18:42 IST
Reason: SelfAttested